जनपद - संतकबीरनगर   प्रेस विज्ञप्ति   दिनाँक 25.01.2025

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 05 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना बखिरा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 5264 द्वारा ई रिक्सा पलटने से घायल 03 व्यक्तियों को भेजवाया गया अस्पताल- पीआरवी 5264 को इवेंट सं0 35710 से थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत चकदही से ई रिक्सा पलटने से घायल 03 व्यक्तियों (01. रुकमणी पत्नी ब्रह्मानंद गोस्वामी निवासी ग्राम तमेश्वरनाथ थाना कोतवाली खलीलाबाद 2. शंभू सोनकर पुत्र मिट्ठू ग्राम भगवानपुर, 03- मालती पत्नी उमेश निवासी ग्राम सिकरी थान महुली जनपद संतकबीरनगर) के घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर समय से पहुँचकर घायल व्यक्तियों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से ईलाज हेतु जिला अस्पताल भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर समय से पहुँचकर दुर्घटना में घायल को ईलाज हेतु जिला अस्पताल खलीलाबाद भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ-   आ0 दीपू कुमार सिंह, हो0चा0 इंद्रनाथ पाण्डेय।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 92 वाहनों से 1,18,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 25.01.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 92 वाहनों से 1,18,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसहयोग से 04 स्थान पर लगवाये गये 13 सीसीटीवी कैमरे

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर द्वारा चलाये जा रहे आपरेशन त्रिनेत्र हर घर कैमरा अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में आज दिनांक 25.01.2025 को संतकबीरनगर पुलिस द्वारा जनसहयोग से 04 स्थान पर 13 सीसीटीवी कैमरें लगवाये गये। थाना धनघटा पुलिस द्वारा 02 स्थान पर 04 कैमरा, थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 02 स्थान पर 09 कैमरा लगवाकर सराहनीय कार्य करने वाले व्यक्ति को माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसामान्य से अपील किया जा रहा है कि वे अपने अपने घरों, कालोनियों व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरें जरुर लगवाएं और कम से कम एक कैमरें से सड़क पर भी निगरानी रखें, जिससे कि अपराधिक व असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जा सके, आपका यह छोटा सा प्रयास कानून व्यवस्था बेहतर करने में बहुत कारगर होगा।

थाना दुधारा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए गैंगेस्टर एक्ट में वांछित 10,000 रुपये के इनामिया अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में आज दिनांक 25.01.2025 को प्रभारी निरीक्षक थाना दुधारा *श्री राकेश कुमार सिंह* के नेतृत्व मे गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 717/ 2024 धारा 2(b)(1)/3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम थाना कोतवाली खलीलबाद जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त कृष्ण मोहन पुत्र श्रीराम साहनी निवासी मथुरा नगर, परती बाजार थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर को पिपरा बोरिंग से बघौली जाने वाले तिराहे से विधिक नियमों का पालन करते हुये गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

कृष्ण मोहन पुत्र श्रीराम साहनी निवासी मथुरा नगर, परती बाजार थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर।

आपराधिक इतिहासः-

1- मु0अ0स0 285/2024 धारा 395/412 भादवि थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।
2- मु0अ0सं0 64/2024 धारा 380/457/411 भादवि थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर।
3- मु0अ0स0 107/2023 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर।
4- मु0अ0स0 110/2022 धारा 376(3)/452 भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर।
5- मु0अ0स0 213/2022 धारा 380/457/411 भादवि थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर।
6- मु0अ0स0 214/2022 धारा 379/411/427 भादवि थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर।

***गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम*-**

प्रभारी निरीक्षक थाना दुधारा राकेश कुमार सिंह, उ0 नि0 श्री प्रमोद कुमार यादव, उ0नि0 श्री राजेश कुमार दूबे, उ0नि0 राम कुशल सिंह, उ0नि0 बीरबहादुर यादव, का0 सुमित कुमार राय, का0 नवतेज सिंह, का0 दीपक सिंह।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 10 गुण्डा एक्ट में जिलाबदर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, जिला बदर आदेश का उल्लंघन कर लुक छिप कर जनपद में कर रहा था निवास

आज दिनांक 25.01.2025 को पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सत्यजीत गुप्ता* के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा *श्री अजय सिंह* के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना धनघटा *श्री रामकृष्ण मिश्र* के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति / वाहन व गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर 10 गुण्डा एक्ट में वांछित व जिलाबदर घोषित किए गये अभियुक्त नाम पता मानसिंह यादव पुत्र मनिराम यादव निवासी सिरसी थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को जनपदीय सीमा के अन्तर्गत उसके घर से जिलाबदर अवधि का उल्लंघन करते हुए गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

***गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण*-**

मानसिंह यादव पुत्र मनिराम यादव निवासी सिरसी थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर।

***गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम*-**

उ0नि0 श्री रामदरश यादव, कां0 विनय सिंह, कां0 आशुतोष पाण्डेय।